



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271714
CG-DL-E-10042026-271714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 244]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 264(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 228(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 104 पर, अनुसूची सीजी में, भाग-ख में, पंक्ति 9 में, उप-पंक्ति क(iii) में, शब्द और अक्षर "i. कुल (ig+ii)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "कुल (ig+ ii)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 106 पर, अनुसूची सीजी के भाग ई में, "ख13क" शब्द और अक्षर "ख12क" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 113 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त सेल का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 59/2026/फा. सं. 370142/7/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 264(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 228(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 104, in Schedule CG, in Part-B, in row 9, in sub-row a(iii), for the words and letters “i. Total (ic + ii)”, the words and letters “Total (ic + ii)” shall be substituted;
- (ii) at page number 106, in Schedule CG, in Part E, the words and letters “B13a” shall be substituted “B12a”;
- (iii) at page number 113, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column “upto 15/6” and “from 16/6 to 15/9” shall be removed.

[Notification No. 59/2026/F. No. 370142/7/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.